वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 83/2025 *दिनांक- 04.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-04.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- सिधारी: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.03.2025 को चौकी प्रभारी इटौरा थाना सिधारी उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा रात्रिगस्त में भ्रमण करते हुए जहानागंज बार्डर के तरफ जा रहे थे कि समेंदा लिंक मार्ग पर गेट के सामनें एक व्यक्ति को रोककर पकड़ लिया गया जिसके कब्जे से 2 अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर बरामद हुआ पकड़े गये व्यक्तिने अपना नाम विकास नोना S/O सुभाष नोना R/O चिलबिली थाना धीनां चन्दौली उम्र 23 वर्ष बताया तथा कड़ाई से पूछताछ में यह भी बताया कि मैं, करन उर्फ टींचर व उसकी पत्नी लक्ष्मी जो पट्टी नरेनपुर थाना सरपतहा जौनपुर के रहनें वाले हैं हम लोग मिल कर प्रयागराज कुम्भ मेला में व शादी विवाह वाले स्थानों पर चोरी छिनैती करते है व आटो रिक्शा में भी हम लोग बैठ जाते हैं मौका मिलते ही चोरी कर लेते है। मैं आजमगढ़ से एक व्यक्ति से लिफ्ट लेकर यहा तक आया था टींचर उर्फ करन व उनकी पत्नी चिरैया कोट में मकान बनाकर रहते है मैं वहीं अपनें हिस्से का पैसा लेने जा रहा था कि आप लोगों नें पकड़ लिया। अभियुक्त को उसके द्वारा किये गये अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का बोध कराते हुए समय करीब 01.50 बजे हिरासत पुलिस में व बरामदशुदा तमंचा कारतूस को कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को नियमानुसार थाना स्थानीय पर लाकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 91/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02. थाना कोतवालीः किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक- 03.03.2025 को वादी नि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 02.03.2025 को समय करीब 07.00 बजे सांय को विपक्षी अरसलान उर्फ संजू पुत्र इश्तेयाक अहमद निवासी कुन्दीगढ थाना कोतवाली आजमगढ द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था हम लोगो ने रात मे काफी तलाश किया था तो आज दिनांक 03.03.2025 को सुबह करीब 03.00 बजे विपक्षी अरसलान वादी की बेटी को वादी के मुहल्ले के बाहर छोड़कर चला गया पीड़िता ने बताया कि अरसलान ने शादी के लिए बहला फुसालकर लेकर गया था तथा रौजा मजार बाग लखराव पुल के पास दुष्कर्म किया गया। घर पर उलाहना देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 65(2)/137(2)/87/352/351(3)बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक- 03.03.2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1- अरसलान उर्फ संजू पुत्र इश्तेयाक अहमद निवासी कुन्दीगढ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को समय 22.15 बजे अभियुक्त के घर मुहल्ला कुन्दीगढ़ से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03. थाना-निजामाबादः किशोरी को अगवा करने में सहयोग करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा ने लिखित तहरीर दिया कि उनकी 15 वर्ष की नाबालिग पुत्री को सूरज पुत्र राम प्रसाद ग्राम वभनगव थाना गम्भीरपुर बहला फुसला कर दिनांक 26.11.024 अगवा कर ले गया है काफी खोजबीन के वावजूद पुत्री का कहीं पता नही चला। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद में मु0अ0सं0 548/24 धारा 137(2),87 BNS बनाम सूरज पुत्र राम प्रसाद पंजीकृत किया गया था। आवश्यक कार्यवाही व विवेचना हेतु चौकी प्रभारी फरिहा उ0नि0 अनिल कुमार सिंह को दिया गया।

➡दिनांक 04.12.24 को उ0नि0 अनिल सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में आरोपी सूरज का अपराध में संलिप्तता नही पाया गया तथा अभियुक्त गोविन्दा पुत्र बसंतलाल निवासी रिवा बभनगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ व उसकी मां किस्मती देवी पत्नी बसंतलाल निवासी रिवा बभनगाँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ व मौसी रामरती पत्नी महेन्द्र उर्फ धोनी व मौसी की लड़की सपना पुत्री महेन्द्र उर्फ धोनी निवासीगण मोहल्ला दरीखा सेख थाना सरायमीर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 65(1), 142 बीएनएस व 4(2) पास्को एक्ट की बृद्धि की गयी। अभियुक्त गोविन्दा व किस्मती देवी को दिनांक 20.01.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 03.03.2025 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता 1. रामरती पत्नी महेन्द्र उर्फ धोनी उम्र 55 वर्ष 2. सपना पुत्री महेन्द्र उर्फ धोनी उम्र 22 वर्ष निवासीगण मोहल्ला दरीखा सेख थाना सरायमीर आजमगढ़ को अभियुक्ता के घर से समय करीब 09.30 बजे पुलिस हिरासत में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

04.थाना जहानागंज: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार; बिना नम्बर प्लेट की एक बाइक बरामद, धारा 207 एमवी एक्ट के तहत बाइक सीज।

गिरफ्तारी का विवरण---

अवगत कराना है कि आज दिनांक 03.03.2025 को उ0नि0 आदित्य सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी जो लोगो के साथ चोरी करना व लूटपाट करने की घटना को करता है वह सीही की तरफ से उम्मरपुर की तरफ आर रहा है। उसके पास अवैध तमंचा भी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर 01 मोटर साइकिल सवार ब्यक्ति अमन यादव उर्फ अनाम पुत्र दुर्गविजय यादव निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद तमंचा .315 बोर का बरामद हुआ। अभि0 के पास मौजूद पीछे बिना नम्बर की मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस व आगे नम्बर प्लेट पर नम्बर UP 50 CR 9115 का कागजात मागा गया तो दिखाने से कासिर रहा मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट मे सीज किया गया। अभि0 अमन यादव उर्फ अनाम पुत्र दुर्गविजय यादव को कारण गिरफ्तारी बताकर अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे समय 14.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। दाखिला फर्द बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 81/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. अमन यादव उर्फ अनाम पुत्र दुर्गविजय यादव निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शिवम त्यागी द्वारा की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

1. मु0अ0स0 81/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1. अमन यादव उर्फ अनाम पुत्र दुर्गविजय यादव निवासी भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 184/23 धारा 395/412/120बी/216 ए भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 196/23 धारा 419/420/473/411/413 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 198/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 357/23 धारा 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0सं0 22/25 धारा 110/115(2)/117(2)/118(1)/351(2)/352/3(5) बीएनएस व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V एसी एसटी एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

6. मु0अ0सं0 161/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ